दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 11/08/2015 का कार्यवृत्त

उपस्थित :

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 एल.एस. शुक्ला	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
3.	प्रो0 जय जी त्रिपाठी	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
6.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास विभाग	सदस्य
7.	डॉ0 बद्री प्रकाश मिश्र	वरिष्ठ शिक्षक, सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर	सदस्य
8.	डॉ0 विश्वदीपक	वरिष्ठ शिक्षक, डी0ए0वी0 कालेज, गोरखपुर	सदस्य
9.	डॉ अशोक कुमार अरविन्द	कुलसचिव	सदस्य
10.	डॉ0 संजीत गुप्ता	सहयुक्त आचार्य, वाणिज्य विभाग	विशेष आमंत्रित
11.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यवृत्त :

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व कुलपति जी द्वारा नये सदस्य प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव का स्वागत किया तथा निवर्तमान सदस्य प्रो0 अंजनी कुमार सिंह के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया।

1. (क) वार्षिक परीक्षा 2015 में अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत कुल 775 अभ्यर्थी नकल में आरोपित हुए थे। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विषय विशेषज्ञ द्वारा कराने के बाद, छात्रों को आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरान्त, उत्तरपुस्तिकाओं का 'अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति' द्वारा निस्तारण किया गया। 'अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति' द्वारा 1. दोषमुक्त किए गये, 2. ऐसे अभ्यर्थियों जिनका परीक्षाफल सत्र 2014–15 हेतु निरस्त करने तथा 3. परीक्षाफल सत्र 2014–15 निरस्त एवं सत्र 2015–16 से वंचित किये जाने का निर्णय लिया गया है, की सूची संलग्न है, तदानुसार निस्तारण समिति के संस्तुतियों पर विचार–

निर्णय : सर्वसम्मति से अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति के निर्णयों/संस्तुतियों को स्वीकार किया।

(ख) बी0ए0 भाग दो केन्द्र संख्या 209 रक्षा अध्ययन कैच संख्या 396 के पांच अभ्यर्थियों के उत्तरपुस्तिकाओं के जिनका अनुक्रमांक 1510062000012, 0014, 0043, 0051, 0056 हैं, के सन्दर्भ में अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति ने सम्बन्धित उत्तरपुस्तिकाओं को परीक्षा समिति को सन्दर्भित किया है। समिति की आख्या पर विचार–

निर्णय : समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि संयोजक उड़ाका दल एवं केन्द्राध्यक्ष से इस प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या मांग ली जाय।

(ग) बी0ए0 भाग दो अनुक्रमांक 1510061850107 समाज शास्त्र कैच नं0 245 केन्द्र संख्या–185 मृत्युन्जय गुप्ता पुत्र श्री राम अवतार के स्थान पर रोशन पुत्र रियाज अली परीक्षा दे रहा था। निस्तारण समिति ने इस प्रकरण को परीक्षा समिति को सन्दर्भित किया है। समिति की आख्या पर विचार–

निर्णय : समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्र को अपना पक्ष रखने के लिए पत्र प्रेषित किया जाय।

(घ) वार्षिक परीक्षा 2015 में विभिन्न केन्द्रों से प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल से 12 उत्तरपुस्तिकाओं में प्राप्त विशेष विसंगतियों पर विचार–

निर्णय : समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कुल 12(बारह) उत्तरपुस्तिकाओं में प्राप्त विशेष विसंगतियों के सम्बन्ध में (I) अनुचित साधन प्रयोग से सम्बन्धित उत्तरपुस्तिकाओं को अनुचित साधन प्रयोग प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाय तथा (II) दो छात्रों द्वारा स्वयं प्राप्तांक दिये हुए उत्तरपुस्तिकाओं को मूल्यांकित करा लिया जाय तथा उनका यह कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, इसलिए एक वर्ष–2015 का परीक्षाफल निरस्त किया जाता है। (III) जिन तीन उत्तरपुस्तिकाओं के पृष्ठ फटे हैं उन छात्रों का पक्ष सुनने के लिए उनको पत्र प्रेषित किया जाय एवं (IV) एक केन्द्र की उत्तरपुस्तिका के बण्डल से दूसरे केन्द्र की उत्तरपुस्तिका प्राप्त होने के क्रम में छात्र का पक्ष जानने के लिए उनको पत्र प्रेषित किया जाय। क्रमांक (III) एवं (IV) के छात्रों को सुनने के लिए डॉ0 संजीत गुप्ता वाणिज्य विभाग को अधिकृत किया गया। तत्पश्चात सम्बन्धित प्रकरणों में निर्णय लिया जाय।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार–

1. श्रीमती मीना पाण्डेय अनुक्रमांक 21451 बी0एड0 वर्ष–1991 रतनसेन महाविद्यालय बांसी, सिद्धार्थनगर के परीक्षाफल के आगे W अंकित है। W अंकित करने का कारण सारणीयन पंजिका में अंकित नहीं है। अभ्यर्थी ने उपाधि निर्गत करने की मांग की है। उपाधि निर्गत करने पर विचार–

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्रा से शपथ पत्र ले लिया जाय कि उसका किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय में प्रपत्र या शुल्क देय अवशेष नहीं है। तत्पश्चात उपाधि निर्गत कर दी जाय।

2. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के परीक्षाओं की उत्तार पुस्तिकाएं दिखाये जाने के सम्बन्ध में विचार–

निर्णय: इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुई तथा निर्णय लिया गया कि "विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं को स्कैन कर पी0डी0एफ0 फाइल बनाकर छात्र द्वारा उपलब्ध कराये गये ई–मेल पर अपलोड कर दिया जाय ताकि छात्र उसे अच्छी तरह देख लें। इसके लिए अन्य विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क रू0 300=00 (रू0 10 आर0टी0आई0 शुल्क + रू0 290 सेवा शुल्क) यहाँ भी ली जाय।

छात्र सुविधा हित में इस शुल्क को वित्त समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया। इस अभिनव सुविधा के लिये समिति के सदस्यों ने माननीय कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त किया।

अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुयी।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति